Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद सं.- 50/2022

महानंद यादव एवं अन्य बनाम लक्ष्मी देवी एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
01/05/24	वादी एवम प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद वादी की ओर से आदेश 22 नि.4,9 दिवानी प्रक्रिया संहिता एवम धारा 5 परिसीमा अधि.के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22/03/24 पर सुनवाई एवम आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया |पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए | वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन को संचालित कर समर्पित किया गया है कि इस वाद के प्रतिवादी सं.1 लक्ष्मी देवी की मृत्यु दिनांक 26/02/23 को हो गई है जो अपने पिछे एक पुत्री मझिया देवी को छोड कर मरी हैं परन्तु वादी को मृत्यु की जानकारी न होने से वादी नियत समय मे यह आवेदन नही दे सका है | अत : निवेदन है की विलम्ब को माफ कर उपशमन को अपास्त कर प्रतिवादी सं.1 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने की कृपा की जाय | प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 01/05/24 को प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है की प्रतिवादी सं 2 के द्वारा प्रतिवादी सं 1 के मृत्यु की जानकारी डी गई है फिर भी वादी के द्वारा यह आवेदन नियत समय मे नही दिया गया है जिस कारण से वादी का यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है | उभय पक्ष पक्ष को सुना | अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं.1 की मृत्यु हो गई है एवम वादी के द्वारा मृत्यु की जानकारी न होने से यह आवेदन नियत समय मे नही लाया जा सका है | वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण के लिए प्रतिवादी सं.1 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अत: विलम्ब को माफ कर वादी के उक्त आवेदन को स्वीकृत कर उपशमन को अपास्त कर वादपत्र से प्रतिवादी सं.1 नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है | वादी आदेशानुसार वादपत्र को संशोधित करे तत्पश्चात समन सामग्री दे | वाद आगामी दिनांक 10/05/24 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	